न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 05/2006

प्रार्थी : –

श्री गणेश कुमार पुत्र श्री दानाजी जाति पुरोहित निवासी नई धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी :–

ग्राम पंचायत धनारी, पंचायत समिति पिण्डवाडा जरिये सरपंच, तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री अशोक पुरोहित प्रार्थी।

निर्णय

दिनांक 08.04.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत धनारी के आदेश क्रमांक 2009/24 दिनांक 06.06.2009 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी की ओर से बावजूद नोटिस तामिल के किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई ।

प्रार्थी की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी ने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत विधि विरूद्ध आदेश क्रमांक 2009/24 दिनांक 06.06.2009 पारित कर प्रार्थीगण को अतुल्यनीय क्षति पहुंचाई है। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी ने विवादित भूमि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा दिनांक 20.10.1994 को सप्रतिफल खरीद की। विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रशासक ग्राम पंचायत धनारी द्वारा दिनांक 18.10.1994 को राजस्थान पंचायतीराज नियमों के तहत नजरी नक्शा मय प्रमाण पत्र जारी किया गया था। प्रार्थी दिनांक 20.10.1994 से ही विवादित भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहा है। प्रार्थी को प्रशासक ग्राम पंचायत धनारी द्वारा निर्माण स्वीकृति दिनांक 10.12.1994 दी गई। प्रार्थी ने 1994 से अब तक लाखों रूपये खर्च कर विवादित भूमि को आवास के अनुकूल बनाया है, जिसमें प्रार्थी का रहवासी कच्चा मकान, मवेशी हेतु बाड़ा, ईटें, पत्थर इत्यादि घरेलू सामान पडा है। ऐसी स्थिति में उक्त नोटिस देकर प्रश्नगत सम्पत्ति को अतिक्रमित बताना सरासर बेईमानी है। अतः श्रीमान [illegible] है कि ग्राम पंचायत धनारी द्वारा पारित आदेश क्रमांक 2009/24 दिनांक [illegible] को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी बावजूद नोटिस [illegible] अप्रार्थी को पूर्व में [illegible] के दिए जा चुके है। अतः अप्रार्थी को जवाब देने का [illegible] बन्द किया जाता है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थी ने विवादित भूमि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा दिनांक 20.10.1994 को सप्रतिफल खरीद की। विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रशासक ग्राम पंचायत धनारी द्वारा दिनांक 18.10.1994 को राजस्थान पंचायतीराज नियमों के तहत नजरी नक्शा मय प्रमाण पत्र जारी किया गया था। प्रार्थी दिनांक 20.10.1994 से ही विवादित भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहा है। प्रार्थी को प्रशासक ग्राम पंचायत धनारी द्वारा निर्माण स्वीकृति दिनांक 10.12.1994 दी गई। प्रार्थी ने 1994 से अब तक लाखों रूपये खर्च कर विवादित भूमि को आवास के अनुकूल बनाया है, जिसमें प्रार्थी का रहवासी कच्चा मकान, मवेशी हेतु बाड़ा, ईंटें, पत्थर इत्यादि घरेलू सामान पडा है। ऐसी स्थिति में उक्त नोटिस देकर प्रश्नगत सम्पत्ति को अतिक्रमित बताना सरासर बेईमानी है। अप्रार्थी ने अपने आदेश में यह जाहिर किया है कि विवादित भूमि बाढ़ पीडित अन्य पक्षकार को आवंटित हुई थी परन्तु अप्रार्थी ने किसी भी प्रकार की चतुर्दशी का उल्लेख नहीं किया है। प्रार्थी के पास ग्राम पंचायत का पट्टा उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर निर्देश दिए जाते है कि यदि प्रार्थी को यह लगता है कि अन्य पक्षकार को गलत आवटंन या पट्टा जारी हुआ है तो वह उस आवटंन/पट्टे के खिलाफ अपील/निगरानी प्रस्तुत कर सकता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:15:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner